

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नंबर 268/18 तारीख रजु. 23/1/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का रकबा बनाम
रकबा पुत्र रकबा जाति रकबा निवासी रकबा तहसील रकबा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

निर्णय:-

दिनांक:- 20.2.18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री रकबा ने ग्राम रकबा को भूमि ख.न. 435 रकबा 0.50 किस्म रकबा फसल रकबा रबि/खरीफ संवत 20. 2.18 में रकबा कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 435 रकबा 0.50 किस्म रकबा वाके ग्राम रकबा से बेदखल किया किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8-00 रकबा 50 गुणा 400 शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल रकबा को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

रकबा
 तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर माघ के पृष्ठ नं० 56
 वर्ष 2017-18
 की रकबा 400
 की जमा रकबा
 दिनांक 5/3/18
रकबा
 तहसील-महवा